

FORM NO . III

* फर्द अहकाम

नियम 25

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

किस्म मुकदमा पत्रावली धारा 212 RT Act बनाम पक्षी
 नं० 24 सन 2-2-16

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

02-02-16 आज यह पत्रावली मूल वादपत्र के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र 212 RT Act दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित प्रतीत है।

अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा वन्दरोजा से आगामी दिनांक 28-6-16 तक पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 19

रकबा - 0-76 ई

कुल किता 1 वाके ग्राम नगरी खण्ड तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान के जिस आगले की प्रशासित क्षेत्र में

क्योना उक्त आदेश ताफैसला सम्पूठ कर दिया जावे। इस संबंध में कोई आपति हो तो आप स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकार अपना जबाब पेश करे। वास्ते तलबी अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो। बाद तलबी पत्रावली दिनांक 28-6-16 को पेश हो।

उप खण्ड अधिकारी
 नीमराना (अलवर)

आज पत्रावली पेश हुई। वकूलाय डि.प.

पिछारीन अधिकारी अवकाश

मिति में पधारे है। पत्रावली उनके समय दि 20-1-2-16 को पेश हो।

28/6

तारीख हुक्म

03-4-25

अज यह पत्रावली पेश हुई। बार सप नीमराना द्वारा कबल
समय किये जाने का आपन पेश किया है। पत्रावली पूर्व
सिद्धिकानुसार अधिम कार्यवाही की गयी है।
कबल पेश है।

8-9-25

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में मूल
वाक अफम केरवी अफम हाजरी में स्वीकृत हो
चुका है। अतः गांफा श्री इसी स्टेज पर
अफम केरवी अफम हाजरी में स्वीकृत
किया जाता है। पत्रावली केमल शुमार दोफा
मम्तर से कम हो। संलग्न मूलावली है।

उमरुण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-कुरुक्षेत्र)